

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

क्रमांक/प09 (2) सम्पर्क/2021-22/32419-426

जयपुर, दिनांक:- 18/8/21

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-64 में राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में देय मेडिकलेम बीमा पॉलिसी की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करते हुए (Universal Health Coverage) में शामिल करने की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Universal Health Coverage 5.00 लाख तक) में राज्य के पात्र अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रति परिवार वहन करने वाली सम्पूर्ण प्रीमियम राशि का वहन "राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष" से करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102102186 दिनांक 18.05.2021 द्वारा अनुमोदित है।

४०

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूजस।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सूजस।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन/सूजस।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सूजस।
6. गृह प्रकोष्ठ, सूजस।
7. ए.सी.पी., सूजस को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक, सूजस